

91

झारखण्ड सरकार
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

पत्रांक :- रा0खा0आ0 (विविध) 160/2019- 180
प्रेषक,

सिकन्दर राय
अवर सचिव-सह-जनसूचना पदाधिकारी,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

सेवा में,

डॉ0 अमित कुमार
पोस्ट बॉक्स नं0-59, एच0ओ0 भागलपुर,
बिहार।
मो0 नं0-9279719196

राँची, दिनांक :- 09.03.2023,

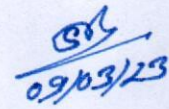
विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में निदेशानुसार कहना है कि सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत दिनांक-08.02.2023 के आपके आवेदन के आलोक में कंडिकावार सूचना निम्नवत् है:-

1. समाचार-पत्र में प्रकाशित आम सूचना रा0खा0आ0 (समाचार-पत्र) 13/2017-02 दिनांक-28.01.2020 के आलोक में प्राप्त आवेदन-पत्रों की विवरणी इत्यादि से सम्बन्धित सूचना आयोग कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। साथ ही ऐसी कोई संस्था या व्यक्ति आयोग में कार्यरत नहीं है।
2. आपके आवेदन कंडिका-(क) के सम्बन्ध में सूचित करना है कि उक्त विषयक मामले से सम्बन्धित संचिका पर श्री सुधीर प्रसाद, तत्कालीन अध्यक्ष, श्री मदन मोहनपति त्रिपाठी, विशेष कार्य पदाधिकारी एवं श्री राघवेन्द्र ठाकुर द्वारा टिप्पणी अंकित की गई है। पूर्व अध्यक्ष, श्री सुधीर प्रसाद सेवानिवृत्त भा0प्र0से0 आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे, इनका कार्यकाल पूर्ण हो चुका है। श्री त्रिपाठी एवं श्री ठाकुर सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त थे एवं मानदेय के आधार पर आयोग कार्यालय में कार्यरत थे। वर्तमान में ये दोनों आयोग में कार्यरत नहीं हैं।

विश्वासभाजन


09/03/23

(सिकन्दर राय)

अवर सचिव-सह-
जनसूचना पदाधिकारी,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

Mail Sent
09/03/23